फर्द अहकाम
(नियम –26)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर

प्रार्थीगण
कष्णाकंवर
बनाम
अप्रार्थीगण
गजेन्द्रसिंह बगैरह
किस्व प्रकारण :– राजस्व प्रार्थना पत्र
मुकदमा सं. 82 /18

तारीख आदेश	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तामिल में जारी हुये
29.10.18	यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सी.पी.सी.के तहत वकील श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी ने पेश किया। बहस वकील प्रार्थी की एक पक्षीय सुनी गयी। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, शपथ पत्र का अवलोकन कर मनन किया गया। प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञाा प्रार्थीगण के 1/3 हिस्से तक अप्रार्थी सं. 01 से 05 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा खंवर के खेत खसरा नम्बर 182 रकबा 16.13 बीघा, ख.नं. 183/688 रकबा 4.15 बीघा, ख.नं. 415 रकबा 8.07 बीघा व ख.नं. 546/1 रकबा 8.19 बीघा भूमि के राजस्व रेकार्ड व मौका की यथा स्थिति आगमी तारीख पेशी तक बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पक्षकारों के समन् जरिये रजिस्टर ए.डी. के भिजवाये जावे। पत्रावली दिनांक 21.12.2018 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जायल,जिला नागौर	
21.12.18	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की सिविल में/भ्रमण अवकाश पर [illegible] है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 22.4.19 को प्रस्तुत करें।	
22.4.19	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता P.O. सा. चुनाव कार्य में व्यस्त है पीठासीन [illegible] में/भ्रमण [illegible] लिए प्रकरण [illegible] 01.07.19 को प्रस्तुत करें।	

8

1.7.19 पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 21.8.19 को प्रस्तुत करें।

21.8.19 पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 15.11.19 को प्रस्तुत करें।

15.11.19 पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 28.01.20 को प्रस्तुत करें।

28/01/2020 पत्रावली आगामी तारीख 17/3/2020 को पेश हो।

17/3/20 पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 17/5/20 को प्रस्तुत करें।

17/5/20 पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 3/6/20 को प्रस्तुत करें।

3/6/20 पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 26/7/20 को प्रस्तुत करें।

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
26/7/20	पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपा. निमल वालों बहस हेतु 10/8/20 को पेश हो।	[illegible]
10/8/20	वकुलाम उपा. गत आदेश की पालना हेतु एवं अमर-चाह जो न्यायहित में किया जाना है। निमल हेतु 4/9/20 को पेश हो।	
4/9/20	पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपा. बहस वकुलाम सुनी गई। इजलास प्राप्त संबंधी मूल वाद सं. 135/18 में वादीगण व प्रतिवादीगण की सहमति अनुसार वाद पत्र स्वीकार कर आज्ञप्ति डिक्री किया जा चुका है। जिसमें विवादित जमान की भूमि के संबंध में ~~मार्ग~~ न्यायिक निर्णय का प्राप्त करो पलना आवेदन उचित नहीं होता है। अतः प्राप्त मूल वाद में आज्ञप्ति डिक्री आदेश से सहमति पर जारी किया जाना है प्राप्त नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।	

प्रार्थीगण निम्न प्रार्थना पत्र ...